भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2371
उत्तर देने की तारीख : 23.03.2022

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निधि

2371. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

श्री जी.सी. चन्द्रशेखर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1.3 करोड़ रोजगार योग्य दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) में से वर्तमान में केवल 34 लाख व्यक्ति ही रोजगार प्राप्त हैं;

(ख) वर्ष 2017 से अब तक सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत नियोजित किए गए दिव्यांग व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) वर्ष 2017 से अब तक सरकार ने वर्ष-वार कितने दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और ऐसे कितने प्रशिक्षुओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सहायता मांगने के बावजूद राष्ट्रीय विक्लांग वित्त और विकास निगम के बजट में वृद्धि करने में विफल रही है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जिनमें दृष्टि, श्रवण, गति और मानसिक दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं। इस जनगणना के अनुसार, 36% दिव्यांगजनों को कामगारों के रूप में नियोजित किया गया था।

(ख) और (ग) दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को लाभप्रद वेतन/स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें समाज के आत्मनिर्भर और उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) "दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)" लागू करता है जिसका शुभारंभ मार्च, 2015 में किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार अम्ब्रेला योजना -- "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)" के तहत एनएपी योजना को लागू किया गया है।, दिव्यांगजनों (15 वर्ष और 59 वर्ष की आयु वाले) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, सरकारी संगठनों (जीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के साथ ही विभाग के संगठन जैसे नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड कारपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) और समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) को सीधे निधियां जारी की जाती हैं ।

प्रशिक्षित और नियोजित दिव्यांगजनों का वर्ष-वार डेटा संभव नहीं है क्योंकि कई बार किसी एक वर्ष में शुरू की गई प्रशिक्षण परियोजनाएं बाद के वर्ष में पूरी होती हैं और इन प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आगे की नियुक्ति अलग-अलग वर्षों या बाद के वर्षों में होती है। 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों में प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 2016-17 से प्रशिक्षित और नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या **अनुबंध में दी गई है।**

(घ) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। सरकार ने नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी) को 1997 में इसकी स्थापना के बाद से 399.99 करोड़ रुपये जारी किए हैं। कारपोरेशन ने उक्त निधियों में से दिव्यांगजनों द्वारा स्वरोजगार हेतु अपेक्षित ऋण सहायता की आवश्यकताओं को पूरा किया है। कारपोरेशन अपने पास उपलब्ध धन को व्यापार में लगाकर दिव्यांगजनों की ऋण सहायता आवश्यकताओं का समाधान कर रहा है और इसने वित्त वर्ष 2020-21 से सरकार से सहायता नहीं मांगी है।

*****

अनुबंध

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निधि के बारे में दिनांक 23.03.2022 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2371 के भाग (ख और ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

28.02.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों में प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 2016-17 से प्रशिक्षित और नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित दिव्यांगजनों की संख्या	नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या (वेतन तथा स्वरोजगार)
1	आंध्र प्रदेश	90	0
2	अरुणाचल प्रदेश	96	96
3	असम	143	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ	318	124
6	दिल्ली	47330	13406
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	788	81
9	हरियाणा	1460	335
10	हिमाचल प्रदेश	150	0
11	लद्दाख सहित जम्मू-कश्मीर	860	711
12	झारखंड	0	0
13	कर्नाटक	428	240
14	केरल	20	0
15	मध्य प्रदेश	3320	1122
16	महाराष्ट्र	3000	1498
17	मणिपुर	973	29
18	मिजोरम	0	0
19	मेघालय	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओड़िशा	935	496
22	पंजाब	1017	562
23	राजस्थान	762	557
24	सिक्किम	0	0

25	तमिलनाडु	1980	656
26	तेलंगाना	1846	173
27	त्रिपुरा	0	0
28	उत्तर प्रदेश	4628	1971
29	उत्तराखंड	0	0
30	पश्चिम बंगाल	9658	2965
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
32	चंडीगढ़	100	51
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पुदुचेरी	0	0
	कुल	**79902**	**25073**

*****